न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति, R.T.S.
मिसल नं. ::: 59 / 2022

सरकार बनाम महाराम पुत्र मातदीन, जाति–ब्राह्मण, निवासी– फतेहपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 28.12.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महाराम पुत्र मातादीन, जाति–ब्राह्मण, निवासी–फतेहपुरा द्वारा रोही मौजा फतेहपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 197 के कुल रकबा 0.50 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर चार दीवारी व छड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर होकर प्रत्युत्तर पेश किया जिसमें गैर सायल ने जवाब पेश करने के लिए युक्तियुक्त अवसर चाहा है। चूंकि गैर सायल को पूर्व में 8 दिवस का युक्तियुक्त समय दिया जा चुका है। गै.मु. रास्ते के प्रकरण में आत्यंतिक प्रकृति का होने के कारण अधिक समय दिया जाना न्यायहित एवं राजहित में उचित प्रतीत नही होता है। गैर सायल ने अपने प्रत्युत्तर में कही भी अतिक्रमण होने से इंकार भी नही किया है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

वि० व० 22-23 के रजिस्टर 4 के क्र० सं० 24 पर राशि 05 /- मांग कायम की गई।
TRA
03/1/23